भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4922

दिनांक 31 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्र

4922. श्री राजेनद्र धेड्या गावित:
श्री बृजेन्द्र सिंह:
श्री सौमित्र खान:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जेनेरिक दवाओं की अतिसुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योग्य व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करके और बैंकों से ऋण देकर जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जन औषधि केंद्रों पर बिक्री के लिए और अधिक जेनेरिक दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को निजी कंपनियों की ओर से देश भर में जन औषधि केंद्रों की स्थापना में भागीदारी की मांग के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बिक्री और खरीद की मात्रा का हरियाणा में जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)</u>

(क) और (ख): सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों को वहनीय मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए, *प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना* (पीएमबीजेपी) औषध विभाग द्वारा शुरू की गई है जिसके अंतर्गत दिनांक 28.02.2023 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में लगभग 9,182 समर्पित आउटलेट खोले जा चुके हैं जिन्हें *प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके)* के रूप में जाना जाता है। मार्च, 2024 तक 10,000 पीएमबीजेके खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के अंतर्गत, कोई भी डी.फार्मा/बी.फार्मा डिग्री धारक स्वयं या कोई भी व्यक्ति/संगठन जिसने संबंधित राज्य सरकार से ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डी.फार्मा/बी.फार्मा डिग्री धारक को नियोजित किया है, पीएमबीजेके खोलने के लिए पात्र है। पीएमबीजेके खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार केंद्र मालिकों को मासिक खरीद के 15% की दर से 5.00 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जो कि 15,000/- रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा के अधीन है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों या महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा खोले गए केंद्रों को 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ग): दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में 1,759 दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया, बाजार की मांग और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा समय-समय पर उत्पाद टोकरी की समीक्षा की जाती है और इसमें नई दवाओं और शल्य चिकित्सा सामग्रियों को शामिल किया गया है।

(घ): सरकार ने प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) की स्थापना करने और इसे संचालित करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमियों, एनजीओ, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म, निजी कंपनी आदि से आवेदन आमंत्रित करने के लिए योजना के अंतर्गत एक फ्रेंचाइजी जैसे मॉडल को अपनाया है। यद्यपि, पीएमबीआई को केंद्र खोलने के लिए निजी कंपनियों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत दवाइयों और शल्य चिकित्सा सामग्री की खरीद का वित्तीय वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**खरीद मूल्य करोड़ में (एमआरपी पर)**
1.	2019-20	430
2.	2020-21	735
3.	2021-22	1020
कुल		**2185**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देश भर में खोले गए पीएमबीजेके के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों की बिक्री कर 1993.01 करोड़ रुपये की बिक्री की गई है। पिछले तीन वर्षों में जन औषधि जेनेरिक दवाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्तीय वर्ष-वार कुल बिक्री **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न हैं और हरियाणा राज्य के मामले में जिले-वार आंकड़े **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न हैं।

अनुलग्नक-I

जन औषधि केंद्रों के बारे में श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री सौमित्र खान, श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 31.03.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4922 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लखित विवरण

पिछले तीन वर्षों में जन औषधि जेनेरिक दवाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्तीय वर्ष-वार कुल बिक्री				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एमआरपी पर बिक्री (करोड़ रुपये में)		
		वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.02	0.05
2	आंध्र प्रदेश	1.49	1.53	1.41
3	अरुणाचल प्रदेश	5.47	0.68	0.24
4	असम	2.37	3.32	4.77
5	बिहार	3.45	6.34	9.80
6	चंडीगढ़	4.09	17.63	3.96
7	छत्तीसगढ	3.40	8.35	18.43
8	दिल्ली	14.62	26.51	24.77
9	गोवा	0.00	0.00	0.00
10	गुजरात	14.21	21.22	27.10
11	हरियाणा	4.26	3.71	3.63
12	हिमाचल प्रदेश	1.03	1.88	6.28
13	जम्मू-कश्मीर	12.79	14.51	22.52
14	झारखंड	6.11	14.79	36.56
15	कर्नाटक	94.27	148.56	164.94
16	केरल	55.93	107.49	160.83
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	5.80	7.23	6.79
19	महाराष्ट्र	8.06	8.35	12.65
20	मणिपुर	0.02	0.55	4.14
21	मेघालय	0.00	0.13	1.54
22	मिजोरम	1.04	0.51	0.51
23	नागालैंड	0.49	0.29	0.32
24	ओडिशा	18.66	26.30	31.17
25	पुदुचेरी	0.23	0.03	0.15

26	पंजाब	32.79	42.83	49.97
27	राजस्थान	8.85	17.75	24.39
28	सिक्किम	0.26	0.00	0.00
29	तमिलनाडु	43.09	51.48	81.93
30	तेलंगाना	2.13	1.48	2.46
31	दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	0.01	0.00	0.01
32	त्रिपुरा	2.37	1.87	2.53
33	उत्तर प्रदेश	66.63	87.66	128.22
34	उत्तराखंड	7.13	14.65	19.41
35	पश्चिम बंगाल	12.45	28.16	42.08
कुल		**433.61**	**665.83**	**893.57**

अनुलग्नक-II

जन औषधि केंद्रों के बारे में श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री सौमित्र खान, श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 31.03.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4922 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लखित विवरण

3 वित्तीय वर्षों के लिए हरियाणा की जिले-वार माध्यमिक बिक्री				
क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23 *(फरवरी तक)
1	अंबाला	8965040	10657488	9635829
2	भिवानी	1256682	2626399	3462584
3	चरखी दादरी	8947	299405	1098151
4	फरीदाबाद	6470891	10424964	11101241
5	फतेहाबाद	241623	784867	1425178
6	गुरुग्राम	2774116	2414196	4405216
7	हिसार	5415180	7397890	8701779
8	झज्जर	1358207	1938586	1683200
9	जींद	860091	759855	1379295
10	कैथल	1495243	1717592	1701339
11	करनाल	3765064	7809848	5525076
12	कुरुक्षेत्र	2296946	3291007	2158842
13	महेंद्रगढ़	3920	145321	320027
14	नूह	292501	975280	680457
15	पलवल	196848	975582	1156996
16	पंचकुला	3712610	5591881	5420102
17	पानीपत	2586627	2065494	2259453
18	रेवाड़ी	568878	1215837	6347234
19	रोहतक	5642483	7166145	7333662
20	सिरसा	2931236	4669407	3950686
21	सोनीपत	2162002	3124151	4899112
22	यमुनानगर	1865354	5273993	5760058
कुल योग		**54870491**	**81325187**	**90405516**

चूंकि केंद्र किसी भी माल गोदाम और/या वितरक) से दवाओं की खरीद कर सकते हैं (यहां तक कि राज्य के बाहर भी, इसलिए अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के आंकड़ों में मामूली अंतर है।

*****